कार्यालय नगर परिषद्, खगौल
Wibsite:- nagarseva.bihar.gov.in/khagaul/Citizen Home.html
E-mail :- nagarparishadkhagaul@gmail.com

पत्रांक 1071 दिनांक 1/11/2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

सेवा में,

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना बिहार।

विषयः— अकेंक्षण प्रतिवेदन संख्या 529/2012—13 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में सूचित करना है कि अकेंक्षण प्रतिवेदन संख्या 529/2012—13 में उल्लेखित आपत्तियों का, कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संग्लन कर, आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

विश्वासभाजन

1.11.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

अकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 529/2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन

नगर पीरषद खगौल।

कंडिका संख्या	आपतियाँ	अनुपालन प्रतिवेदन
7 (A)(V)	भुगतान का उद्देश्य सुनिशचित नही रूपये 80000	नगरिक सुविधा योजना के अन्तर्गत सीढीनुमा घाट का निर्माण हेतु योजना संक्ष्या 1,2,3,4 वर्ष 2011–12 में प्रति घाट 20,000 रूपये के दर से कुल (4) चार योजनाओं के लिए प्राप्त अग्रधन की राशि 80000 रूपये का भुगतान श्री सुजीत कुमार संवेदक को किया गया था। साक्ष्य संलग्न भुगतान नियमानुसार किया गया । कृप्या आपति को विलोपित किया जाय।
7 (C)	बैंक से निकासी परन्तु रोकड बही में प्रविष्टि नही रूपये 300995	बैंक से निकासी राशि 300995,00 रूपये को रोकड बही में (बी0 आर0 जी0 एफ0) प्रविष्टि कर दी गयी है। निकासी के विरूद भुगतान संबंधी संचिका अभिश्रव अगले लेखा परिक्षा को दिया दी जायगी
7 (H)	मैचिग ग्रांट रूपये 5.07 लाख	507887 रूपये उपादान मद की राशि अंकेक्षण में दर्शाया गया सेवानिवृत कर्मियो को भुगतान किया गया था। संबंधित संचिका सेवा पुस्त अगले लेखा परिक्षा को दिखा दि जायेगी।
16	कर संग्राहकों द्वारा कम /नही जमा रु0 4511,59	आपति का अनुपालन कर ली गयी है जिसमे अगले लेखा परिक्षा को दिखा दी जायगी।
22	परती जमीन की बंदोबस्ती नही रूपये 1500	वर्ष 2011–12 में सब्जपुरा में स्थित खेती जमीन की बंदोबस्ती हेतु न्युनत्तम राशि 1500 रूपये रखी गयी थी । बंदोबस्ती हेतु सूचना भी प्रकाशित किया गया था। पर कोई डाकवक्ता द्वारा बंदोबस्ती हेतु उपस्थित न हो सकने के कारण उक्र जमीन अबंदोबस्त रहा कृपया केडिका विलोपित किया जाय।
25(क)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की अनुदान राशि का विचन राशि 2.24 लाख	कार्य से सम्बधित अभिश्रव सक्षम पदाधिकारी से पारित किया गया एवं सम्बंधित व्यय की गई राशि का विचलन संबंधित खातों में जमा कर दी गई थी एवं उक्त खाता को सरकार के निर्देश के आलोक में एन0.यू0.एल0.एम0 का खाता खोल कर सभी राशि को हस्तान्तरण कर दी गई है। जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी। कंडिका विलोपित किया जाय।
23 (ख)	13 वी0 वित्त की राशि से बी0.आर0.जी0.एफ0. एक मद की योजनाओं में विचलन रूपये 313705.00	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपति के आलोक में विचलन की गई राशि को बी0.आर0.जी0.एफ0. के खाता से 13वी वित के खाता में हस्तान्तरण कर दी गई है। जिसे की अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। अतः निवेदन हैं कि उक्त कंडिका को विलोपित कर दिया जायें।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
खगौल

26	S.J.S.R.Y अन्तर्गत चलाये जा रहे ब्यूटीशियन ट्रेंड प्रशिक्षण में रूपये 27620 का अधिक भुगतान	जॉचोपरान्त अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली महिला एवं बाल विकास केन्द्र से की जायेगी।
27	सोलर लाईट अधिष्ठापन सम्बंधी अनियमितता 24.92 लाख	1 उक्त कंडिका में उठाये गये आपति के आलोक में कहना है कि वार्ड सदस्य का सत्यापन प्रतिवेदन एवं रख–रखाव से सम्बंधित प्रमाण की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें। 2. उक्त कंडिका को सम्बंध में कहना है कि 92 सोलर लाईट को नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षदो के द्वारा दिये गये सूची के आलोक में बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी वार्डो में चार–चार लाईट अधिष्ठापित किया जाना है जहॉ ज्यादा आवश्यकता होगी विचार के बाद लगा दी जायेगी। इसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाये। 3. उक्त के आलोक में कहना है कि एकरारनामा के क्लॉज 7 में ही निःशुल्क रख–रखाव से सम्बंधित 1 वर्ष तक के अवधि के लिए निर्दिष्ट किया गया हैं अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाये। 4. अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपसी के आलोक में कहना है कि सोलर लाईट अधिष्ठापन संबंधि पारित प्रस्ताव सं0. 49 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः इस कंडिका को विलोपित किया जाये। 5. उक्त के संदर्भ में कहना है कि नगर परिषद, के द्वारा बैंट की कटौती की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें। 6. उक्त के सर्दभ में कहना है कि समय अवधि के अन्दर समाप्त कर ली गई थी परन्तु जॉच प्रकिया पूर्ण नही होने के कारण विपत्र देर से प्रस्तुत किया गया था, अतः अनुरोध है इस कंडिका को विलोपित किया जाये।
28(क)	स्मेकित अल्पलागत शौचालय निर्माण योजना में अनियमितताएँ 41.65 लाख	शौचालय निर्माण में 32.40 लाख का भुगतान किया गया था शेष राशि 875500/– रूपये विभाग को वापस कर दी गयी थी अतः कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जायें।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, फगौल

28(ख)	शौचालय निर्माण में अनियमित्ताएँ 7.89 लाख रूपये।	ग्रेटब्रिटेन के शहरी विकास मंत्री के आगमन के फलस्वरूप न्यूनतम निविदादाता ग्रामीण विकास समिति से शौचालय का निर्माण युद्वस्तर पर सम्पन्न कराया गया था। लेखा परीक्षा के सुझाव को भविष्य के लिए अंकित किया जाना है। कृप्या कंडिका को विलोपित किया जाये।
29	विलम्ब शुल्क की कटौती नही 400845.00	आमजन द्वारा व्यवधान किए जाने के कारण कार्य पूर्ण होने में अल्प अवधि के लिए विलम्ब हुआ इसमें संवेदक को दोषी नही माना जा सकता । भविष्य में लेखा परीक्षा के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा। कृप्या कंडिका को विलोपित किया जायें।
30	कार्य योजना बिलों से श्रम उपकर की कटौती नही 1. 70 लाख	भविष्य में किसी भी कार्य योजना बिलों से श्रम, उपकर की कटौती कर प्राप्त राशि कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन विभाग को विप्रेषित कर दी जायेगी । इस संबंध में अंकेक्षण आपति को ध्यान में रखते हुए श्रम शेष की कटौती की जा रही है। इसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कृप्या कंडिका विलोपित किया जाये।
31	मुकदमा फीस का भुगतान 15910.00	मुकदमा फीस सम्बंधि बाद पंजी (Sub Register) का संसाधण नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। कृप्या कंडिका को विलोपित किया जायें।
32	ईधन पर व्यय 1.80 लाख	उक्त के संदर्भ में कहना है कि गाडियों का लॉग बूक एवं ईधन आपूर्तियों पंजी संधारित कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। साक्ष्य संग्लन कृप्या कंडिका विलोपित किया जायें।
33	जनगणना कार्य में अवितरित राशि को रोकड़पाल द्वारा रखना	जनगणना कार्य में कार्यरत कर्मियों को 7428/-रूपये का भुगतान कर प्राप्ति रसीद ले ली गयी है। आपति को विलोपित किया जायें।
34	नगर कार्यपालक पदाधिकारी का स्वास्थ्य जॉच हेतु अनियमित भुगतान रूपये 1500/-	स्वास्थ्य जॉच हेतू कार्यपालक पदाधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार सही है। दिनेश साउण्ड बड़ी खगौल को अधिक भुगतान की गयी राशि 500.00 की राशि वसूली कर रसीद संख्या 1647 दिनांक 22.11.2011 के द्वारा नगर निधि में जमा कर अंकेक्षण दल को दिया गया था। इस कंडिका विलोपित किया जायें।
35	भविष्य निधि कटौती की राशि समबंधित खाते में जमा नही 10.78 लाख	भविष्य निधि मद में कटौती की गयी राशि को भविष्य निधि खाते में जामा कर दी गयी है। कृप्या कंडिका विलोपित किया जाये।।
36	वैट, रॉयल्टी एवं आयकर कटौती की राशि जमा नही। 10.69 लाख	सम्बंधित शीर्ष की राशि जमा कर दी गयी है। जिसे अगले अंकेक्षण में अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर दी जायेगी।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल

37	अग्रधन एवं एकरारनामा की वापसी।	योजना एवं संवेदक वार अग्रधन एवं एकरारनामा की प्राप्ति एवं वापसी राशि सम्बंधि पंजी संधारित कर ली गई थी जिसके आधार पर ही राशि वापस करने की कार्यवाई की जा रही है। कृप्या कंडिका को विलोपित किया जायें।
38	दैनिक मजूदरी पर अप्राधिकृत व्यय रूपये 12. 74 लाख	उक्त के संबंध में कहना है कि नगर परिषद के उपयुक्त कर्मचारी का नही होने से कार्यो में परेशानी होती थी हमेशा गुस्से की सामना करना पड़ता था इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त ही दैनिक मजदूरी पर रख कर कार्य को कराया गया है। इस सम्बंध में सरकार से भी कई बार पत्राचार किया गया है और किया भी जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जायें।
39	अनुपलब्ध अभिश्रव रूपये 1.23 लाख	सोलर लाईट मद से सम्बंधित अभिश्रव एवं संचिका अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका को विलोपित करने कि कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

ज्ञापांक ....दिनांक ....

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव नगर विकास , पटना को सूचनार्थ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगौल, पटना।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगौल